

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/आर-128/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० खुशबू कुमारी, ट्यूटर, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का दिनांक-17.09.2020 से 20.09.2023 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-21.09.2023 से 04.02.2024 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् विनियमित किया जाता है:-

i.	दिनांक-17.09.2020 से 20.09.2023 तक (कुल-1099 दिन)	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
2. दिनांक-21.09.2023 से 04.02.2024 तक कुल-137 दिन		
i.	दिनांक-21.09.2023 से 12.10.2023 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
ii.	दिनांक-13.10.2023 से 15.10.2023 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
iii.	दिनांक-16.10.2023 से 01.02.2024 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
iv.	दिनांक-02.02.2024 से 04.02.2024 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-128/2025- 17MS(2) पटना, दिनांक 24/7/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० खुशबू कुमारी, ट्यूटर, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।